न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

रामस्वरूप बनाम बिहारीराम आदि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट
प्रकरण संख्या :– 43/2022
प्रकरण संख्या (GCMS) :– 2022/269

14.06.2022 यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट के तहत जरिये वकील श्री मदन ज्याणी के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने एक पक्षीय बहस बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में करनी चाही। अप्रार्थी बिहारी लाल द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी को बिना सुने कोई आदेश पारित नहीं किया जावे। अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के संबंध में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन करने के पश्चात् एवं पत्रावली का अवलोकन करने के बाद पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम खनिज विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमि का जिप्सम परमिट जारी किया हुआ है। अतः प्रकरण प्रथम दृष्ट्या एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब एवं शेष की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 11.07.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

27.6.22 मूल वाद के साथ यह पत्रावली आज पेशी में ली गई। चूंकि मूल वाद [illegible] के आधार पर निस्तारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अतः यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने पर इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अभिलाष)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना